तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मंगलाराम बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 207/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी मंगलाराम बेनिवाल, निवासी ग्राम पोस्ट बेनिवालों की ढाणी, कुरची खींवसर, जिला नागोर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.01.2022 में (1) उपखण्ड अधिकारी(कृषि भूमिरूपान्तरण) जोधपुर द्वारा दिनांक 19.12.1989 को जारी पट्‌टा सं0 2769/1989 का विवरण व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 970 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 107 दिनांक 20.01.22 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु अभिलेख शाखा से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में उक्त अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनको धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा ने सूचना तैयार कर उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कलक्टर कार्यालय (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	